पुलिस में 400 एसपीओ की होगी नियुक्ति

लिखित परीक्षा न शारीरिक परीक्षण, पूर्व सैनिकों व एचएसआईएसएफ-एचएपी के पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन मांगे

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की नियुक्ति होगी। किसी भर्ती आयोग से परीक्षा नहीं होगी बल्कि हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के तहत पात्र पूर्व सैनिकों से सीधे आवेदन लेकर दस्तावेजों और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति होगी। यह एक वर्ष के लिए होगी। आवेदन 24 अगस्त से शुरू होकर जिलावार निर्धारित तारीखों पर लिए जाएंगे।

पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, आवेदन सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पूर्व सैनिकों के अलावा भंग हो चुकी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (एचएसआईएसएफ) और हरियाणा आर्म्ड पुलिस (एचएपी) बटालियन के पूर्व कांस्टेबल कर सकते हैं।

सिग्नल कॉर्प्स वालों को प्राथमिकता : चयन में टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों को संभालने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के सिग्नल कॉर्प्स में सेवा दे चुके पूर्व जवानों को वरीयता मिलेगी।

पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से पंचकूला के सेक्टर 25 के समाने पुलिस लाइंस टेलीकम्युनिकेशन कार्यालय पहुंचना होगा। उन्हें सभी मूल दस्तावेज, उनकी सत्यापित प्रतियों का एक सेट, निर्धारित शपथपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। चार रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होंगी।

जिलेवार आवेदन करने की तारीख

24 अगस्त: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल

25 अगस्त: सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी

26 अगस्त: गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, नारनौल

27 अगस्त: हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, जींद, डबवाली

भर्ती की प्रमुख शर्तें

- **योग्यता :** 12वीं पास; उम्र 25 से 50 वर्ष
- **सेवा :** सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कम से कम 5 साल सेवा जरूरी
- **परीक्षा :** न लिखित, न शारीरिक परीक्षा
- **रिकॉर्ड :** डिस्चार्ज के समय मेडिकल श्रेणी ए और चरित्र प्रमाणपत्र मिसाल कायम करने वाला या बेहतरीन होना जरूरी

प्रशिक्षण: चयन के बाद 15 दिन का प्रशिक्षण

- **मानदेय:** 20 हजार प्रतिमाह, एक साल या नियमित नियुक्ति तक होगी
- **वर्दी भत्ता:** वर्दी व अन्य सामग्री के लिए 3 हजार रुपये एकमुश्त
- **टीए-डीए:** सरकारी दौरे पर 150 प्रतिदिन
- **मुआवजा:** ड्यूटी में मृत्यु पर 10 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर 1-3 लाख, गंभीर चोट पर 1 लाख तक, प्राकृतिक मृत्यु पर 3 लाख रुपये तक
- **तैनाती:** गृह पुलिस थाने में तैनाती नहीं, गृह जिले को प्राथमिकता मिल सकती है।
- **आपात ड्यूटी :** जरूरत पड़ने पर प्रदेश में कहीं भी तैनाती संभव
- **सेवा समाप्ति :** अनुशासनहीनता, खराब प्रदर्शन या जरूरत खत्म होने पर बिना नोटिस सेवा समाप्त की जा सकती है

हरियाणा पुलिस में 400 एसपीओ की भर्ती होगी

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका तलाश रहे पात्र पूर्व सैनिकों के लिए दूरसंचार विंग ने 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) के लिए आवेदन मांगे हैं। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों के अलावा भंग हो चुके एचएसआईएसएफ और एचएपी बटालियनों के पूर्व कांस्टेबल भी आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि भर्ती के लिए न लिखित परीक्षा होगी और न ही शारीरिक परीक्षण। चयनित एसपीओ को 20 हजार

- पात्र पूर्व सैनिकों को मौका, बीस हजार रुपये मानदेय मिलेगा

प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। दूरसंचार उपकरण चलाने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। सशस्त्र बलों या सीएपीएफ की सिग्नल कोर में सेवा दे चुके उम्मीदवारों को खास तौर पर प्राथमिकता देने का प्रावधान है।उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना और उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच होना जरूरी है। सशस्त्र बलों और सीएपीएफ में पांच साल सेवा जरूरी शर्त है।

STATEJOBRESULT.COM

हरियाणा पुलिस में भर्ती होंगे 400 स्पेशल पुलिस आफिसर

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस आफिसरों (एसपीओ) की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा आर्म्ड पुलिस बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

- सशस्त्र बलों, एचएसआइएसएफ के पूर्व जवानों के लिए होगी नौकरी
- टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में होगी तैनाती, 15 दिन का होगा विशेष कोर्स

एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उसके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में एसपीओ को थोड़े समय के लिए हरियाणा के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। नियुक्ति अवधि एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक रहेगी। टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास तौर पर सशस्त्र बलों के सिग्नल कार्प्स में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित एसपीओ को पुलिस विभाग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।

आवेदक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना जरूरी है। विज्ञापन की तारीख को उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र बल में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा जरूरी है। अनुशासनहीनता, कदाचार या मेडिकल अनफिटनेस के आधार पर सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। एसपीओ की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित होंगे। अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक ड्यूटी या एक वर्ष से पहले आवश्यकता समाप्त होने पर एसपीओ की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन की ओर से आदेश जारी किया जा सकता है और पूर्व नोटिस देना जरूरी नहीं होगा।

400 एसपीओ की होगी भर्ती, 12वीं पास जरूरी

भास्कर न्यूज़ | चंडीगढ़

पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसरों (एसपीओ) भर्ती किए जाएंगे। एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनाती नहीं मिलेगी। आपातकालीन परिस्थितियों में एसपीओ को कुछ समय के लिए प्रदेश में कहीं भी लगाया जा सकेगा। नियुक्ति का समय एक वर्ष रखा गया है। टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। 15 दिन का कोर्स भी कराया जाएगा। आवेदक का बारहवीं पास होने के साथ उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा।

हरियाणा में भर्ती होंगे 400 विशेष पुलिस अधिकारी

सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व जवानों को मिलेगा अवसर

चंडीगढ़, 16 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा पुलिस की दूरसंचार शाखा में 400 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एचएसआइएसएफ) और हरियाणा आर्म्ड पुलिस की बटालियनों के पूर्व सिपाहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

एसपीओ की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक की जाएगी। दूरसंचार उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से सशस्त्र बलों की सिग्नल कोर में सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों को वरीयता मिलेगी। चयनित एसपीओ को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विज्ञापन जारी होने की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सशस्त्र बलों में कम से कम पांच वर्ष की सेवा का अनुभव आवश्यक है।

अनुशासनहीनता, कदाचार अथवा चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाने के कारण सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए पूर्व सैनिक इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। एसपीओ के चयन के लिए न तो लिखित परीक्षा होगी और न ही शारीरिक परीक्षा। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण के माध्यम से उनके चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाणपत्रों का भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापन होगा।

अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक कार्यप्रदर्शन अथवा एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले आवश्यकता समाप्त होने की स्थिति में एसपीओ की सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उसके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी।